संख्या:24/2019/1410जेएल/22-3-18-24जी/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त जिला प्राबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 13 फरवरी, 2019***

विषय- कारागारों में बंदियों की ओवर क्राउडिंग की समस्या के निदान हेतु प्रत्येक जनपद में गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत की कारागारों में विचाराधीन बंदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक है और कालक्रमानुसार इसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण विभिन्न बाधाओं के चलते बंदियों की रिहाई में शिथिलता है। मा0 उच्चतम न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ द्वारा इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। इस स्थिति पर राष्ट्रकुल मानवाधिकार पहल (कामन वेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव), जिसका भारत सदस्य है, द्वारा भी गहन चिंता व्यक्त की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रत्येक जनपद में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यू0टी0आर0सी0) तथा इसकी सहायता हेतु प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी) के गठन की व्यवस्था दी गयी है। प्रत्येक जनपद में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन एक उत्कृष्ट व्यवस्था है जिसका दायित्व एक संयोजक इकाई के रूप में यह सुनिश्चित करना है कि किसी बंदी का स्वत्व अर्थात अनुशासनबद्ध स्वतंत्रता (लिबर्टी), जिसका वह हकदार है, का उल्लंघन न हो। अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी को प्रदत्त दायित्व बड़े स्पष्ट है अर्थात ऐसे बंदी के प्रकरणों की नियमित/प्राय: समीक्षा करना जो विचाराधीन हैं तथा ऐसे समुचित सकारात्मक कदम उठाना, जिससे कोई विचाराधीन बंदी अनावश्यक दीर्घकाल के लिए कारागार में निरूद्ध न रहे अथवा किसी बंदी का प्रकरण पत्रावलियों में उलझा न रह जाय। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त व्यवस्थाओं को कार्यान्वित किये जाने हेतु अपने पत्र संख्या-17011/2/2010-PR, दिनांक 09-05-2011 एवं पत्र संख्या- V-13013/70/2012-IS(VI), दिनांक 17-01-2013 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- रिट याचिका (सिविल) संख्या-406/2013, (IN HUMAN CONDITIONS IN 1382 PRISIONS) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-02-2016 के पृष्ठ-2/3, प्रस्तर-4 में कारागारों में बंदियों की दुर्दशा की समस्या के निम्न-9 प्रमुख कारण चिन्हित किये गये हैं-

(1)बंदियों की क्षमता से अधिक संख्या।
(2)विचारण (ट्रायल) में विलम्ब।
(3)बंदियों का उत्पीड़न एवं उनके प्रति दुर्व्यवहार।
(4)स्वास्थ्य व स्वच्छता की अनदेखी।
(5)अपर्याप्त भोजन व वस्त्र।
(6)कारागारों में दुर्व्यसन।
(7)विभिन्न नियामक घटकों में परस्पर संवाद का अभाव।
(8)कारागार निरीक्षण अधिकारियों में परस्पर ताल-मेल की कमी।
(9)खुली कारागारों के प्रबंधन में त्रुटि।

3- वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कारागारों में लगभग 75467 विचाराधीन बंदी निरूद्ध हैं। कारागारों में क्षमता से अधिक संख्या में बंदी निरूद्ध होने के कारण अन्य बंदियों की भी आधारभूत सुविधायें यथा-स्वास्थ्य, खान-पान, रहने का स्थान आदि कुप्रभावित होता है तथा बंदियों के मौलिक अधिकार (रहने की दशायें, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य) पर बुरा असर पड़ता है। कारागारों में बंदियों के संख्या अतिरेक से जेल प्रशासन को भी गंभीर समस्याओं (कारागार की सुरक्षा, जरूरी सेवाओं पर भारी दबाव, गंभीर अपराधों में निरूद्ध बंदियों को सामान्य अपराधियो से अलग रखने में कठिनाई आदि) का सामना करना पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा सीआर0पी0सी0 की धारा-436ए से आच्छादित विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों पर ही विचार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बहुत कम संख्या में बंदी रिहा होते हैं, जिसका कारागारों की भीड़ पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता। मा0 उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में दायर रिट याचिका संख्या-749/2018 एवं 406/2013 में समय-समय पर पारित आदेशों में इस पर चिंता प्रकट करते हुए टिप्पणी भी की जाती रही है। ऐसी दशा में अनिवार्य है कि प्रत्येक जनपद में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभावी ढंग से कार्यशील हो तथा इनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जांय। अतएव यह सुनिश्चित किया जाय कि-

(1) जिन जनपदों में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है उन जनपदों में अविलम्ब अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन कर लिया जाय। सम्प्रति सीआर0पी0सी0 की धारा-436, 436(ए) से आच्छादित बंदी यदि नहीं हैं तब भी इस कमेटी का गठन कर लिया जाय ताकि भविष्य में ऐसे बंदियों की रिहाई पर विचार किया जा सके।

(2) जिन जनपदों में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी गठित है वहां कमेटी की नियमित बैठके की जाय।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि की जाय।

5- कारागारों में बंदियों की भीड़ (संख्यातिरेक) में कमी एवं उनकी जीवन दशाओं में अपेक्षित सुधार हेतु राष्ट्रकुल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative) द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं-

क्र0	बंदी श्रेणी	अर्हता निर्धारण की प्रक्रिया	सुझायी गयी कार्यवाही
1	सीआर0पी0सी0 की धारा-436 ए के अंतर्गत पात्र विचाराधीन बंदी ***(आदेश दिनांक24-04-2015)**	अधिकतम विहित निरूद्धि अवधि बंदी की गिरफ्तारी की तिथि से आगणित की जाय तथा विहित अधिकतम निरूद्धि अवधि सीआर0पी0सी0-1973 की प्रथम तालिका के अनुसार हो।	संबंधित न्यायालय को संस्तुति की जाय कि रिहाई श्योरिटी के साथ अथवा बिना श्योरिटी के व्यक्तिगत अनुबंध पर कर दी जाय।
2	मा0 न्यायालय से जमानत पर रिहा किंतु जमानत(श्योरिटी) राशि जमा करने में अक्षम ***(आदेश दिनांक24-04-2015)**	यह संबंधित न्यायालय द्वारा परिपुष्ट (Confirm) किया जाय क्योंकि यह सूचना जेल को नहीं दी जाती है।	• पैनल अधिवक्ता को निर्देशित किया जाय कि वह संबंधित बंदी से मिले तथा आवश्यक विवरण प्राप्त करके सीआर0पी0सी0 की धारा0-440 के अंतर्गत संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र दाखिल करें। • ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त निजी अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करता हो, जेल अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे इसकी सूचना बंदी को दें जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीआर0पी0सी0 की धारा-440 के अंतर्गत बेल बाण्ड में कमी हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल करें अथवा • यदि कोई प्रोबेशन अधिकारी/वेलफेयर अधिकारी नियुक्त हो तो उसे निर्देशित किया जाय कि वह श्योरिटी देने के लिए अभियुक्त के परिवार से सम्पर्क करें। • अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी व्यक्तिगत बाण्ड पर छोड़े जाने की संस्तुति कर सकती है। मोती राम एवं अन्य बनाम म0प्र0 में दिये गये निर्देशानुसार (1978 एआईआर 1594, 1979 एससीआर(1) 335)
3	विचाराधीन बंदी जिनपर शमनीय (Compoundable	• सीआर0पी0सी0 की धारा-320 के अधीन अपराधों की 02 सूची	• संबंधित न्यायालय को मामलों को कम्पाउण्ड करने हेतु प्रयास करने के

http://shasanadesh.up.nic.in

	offences) अपराधों का आरोप है। ***(आदेश दिनांक24-04-2015)**	में उनसे जुड़ी धाराओं तथा उन व्यक्तियों जिनके द्वारा किये गये अपराध कम्पाण्ड किये जा सकते हैं, सीआर0पी0सी0 की धारा-320 के अधीन दिये गये। • उप धारा-(1) के अधीन उल्लिखित अपराध बिना न्यायालय की अनुमति के कम्पाउण्ड किये जा सकते हैं जबकि उप धारा-(2) में वे अपराध हैं जिनको न्यायालय की अनुमति से ही कम्पाउण्ड किया जा सकता है।	निर्देश दिये जांय। • पीड़ित पक्ष (Victim) से विचार-विमर्श करके अपराधों को कम्पाउण्ड करने पर विचार किये जाने हेतु प्रासीक्यूसन को संबंधित न्यायालय निर्देश दे। • पैनल अधिवक्ता को निर्देश दिया जाय कि वह जेल में जाकर अभियुक्त से मिले और उसे सीआर0पी0सी0 की धारा-320 में दिये गये प्रावधानों को स्पष्ट करें। यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं है तो पैनल अधिवक्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र दाखिल करने के निर्देश दें। ऐसे मामलों में जहॉ निजी अधिवक्ता अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता हो पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रावधान सूचित किये जाने पर बंदी अपनी ओर से प्रार्थना-पत्र दाखिल किये जाने हेतु अधिवक्ता से बात कर सकता है कि उसकी तरफ से वह प्रार्थना-पत्र दाखिल करें। • अपराध सीआर0पी0सी0 की धारा-320 के प्रावधानों के अुनसार कम्पाउण्ड किये जांय।
4	सीआर0पी0सी0 की धारा-436 के अधीन पात्र अण्डर ट्रायल बंदी ***(आदेश दिनांक05-02-2016)**	• धारा-436, जमानत योग्य मामलों से संबंधित है। कोई अपराध जमानत योग्य अथवा अयोग्य है, यह सीआर0पी0सी0 की प्रथम अनुसूची में बताया गया है। • सीआर0पी0सी0 के 2005 के संशोधन में यह व्यवस्था दी गयी है कि ऐसा व्यक्ति जो गिरिफ्तारी से 07 दिन के भीतर श्योरिटी देने में असमर्थ है, दरिद्र (Indigent) माना जायेगा।	• किसी पैनल अधिवक्ता को जैसे ही संबंधित व्यक्ति न्यायिक हिरासत में 07 दिन पूर्णकर लेता है, बिना श्योरिटी के निजी बाण्ड पर रिहाई हेतु प्रार्थना-पत्र देने को निर्देशित करें। • यदि 07 दिन पूर्ण हो चुके हैं तो उस दशा में संबंधित न्यायालय को सीआर0पी0सी0 की धारा-436 के अनुसार निजी बाण्ड पर रिहाई की संस्तुति करें।
5	Probation of offender's Act. 1958 का क्रियान्वयन ***(आदेश दिनांक05-02-2016)**	• धारा-3 का लाभ केवल उन्हें दिया जा सकता है, जो प्रथम बार के अति लघु अपराधी हैं, जो 02 वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिये जाने योग्य नहीं है, जबकि धारा-4 बार-बार अपराध करने वाले सहित उन सभी पर लागू होता है जो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास के अतिरिक्त हर प्रकार के अपराध के दोषी पाये गये हैं। • धारा-3 का लाभ किसी ऐसे	• संबंधित न्यायालय को संस्तुत करें कि यदि विचारण के दौरान व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो Probation of offender's Act-1958 की धारा-3, धारा-4 का लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

		व्यक्ति को मिल सकता है जो निम्न धाराओं में से किसी के अंतर्गत दोषी पाया गया हो- (1)धारा-379, 380, 381, 404,420 आई0पी0सी0 (2)कोई अपराध जिसमें 02 वर्ष से अधिक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से अधिक दण्ड का प्रावधान हो, • न्यायालय को धारा-4 के अधीन अच्छे चाल-चलन के किसी अपराधी को जो परिवीक्षा (Probation) पर है, की रिहाई का अधिकार है यदि- (1)कोई व्यक्ति मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के योग्य दण्ड के अतिरिक्त किसी अपराध का दोषी पाया गया हो। (2)न्यायालय, इस विचार का है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोष इस प्रकृति का है, जिसमें उसके अच्छे चाल-चलन के प्रोबेशन पर रिहाई करना समीचीन है।	
6	सजायाफ्ता जो अपनी दण्डावधि पूरी कर चुके हैं, अथवा किसी दण्ड क्षमादान (Remission) के कारण रिहाई के पात्र हैं ***(आदेश दिनांक05-02-2016)**	राज्य के नियम में समयपूर्व रिहाई/दण्डावधि में कटौती के प्रावधान हैं।	जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाय कि वे **संलग्न प्रारूप** पर पात्र सजायाफ्ता कैदियों के नाम इस हेतु गठित स्टेट बोर्ड को, जैसे ही वे नियमानुसार पात्रता अर्जित करें, भेजें।
7	ऐसे विचाराधीन बंदी जो सीआर0पी0सी0 की धारा-167(2)(ए)(I) एवं (II) के अधीन जमानत पर रिहाई के पात्र हैं- A.जहॉ जॉच 90 दिनों के भीतर पूरी न हो; B.जहॉ जॉच 60 दिनों के भीतर पूरी न हो; C.जहॉ जॉच 180 दिन के भीतर पूरी न हो; [धारा-167, नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं	• 60/90/180 दिनों की गणना प्रथम रिमाण्ड की तिथि से होगी तथा यह सीआर0पी0सी0 की प्रथम अनुसूची में दी गयी अधिकतम कारावास पर निर्भर है। • चूँकि प्रथम रिमाण्ड की तिथि जेल को नहीं बतायी जाती इसलिए इसकी पुष्टि संबंधित न्यायालय से अवश्य कर ली जाय।	संबंधित न्यायालय को बेल अथवा निजी बाण्ड पर रिहाई की संस्तुति की जाय। ऐसी दशा में जब मामला पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी यह संस्तुति अवश्य करे कि बंदी की जमानत की दरख्वास्त उचित न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की सुनवाई की अगली तारीख पर दाखिल की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

	साइकोट्रापिक सब्स्ट्रांसेज एक्ट-1985 की धारा-36ए के साथ पढ़ा जाय (जहां व्यक्ति कॉमार्शियल क्वान्टिटी सहित धारा-19 अथवा 24 अथवा 27ए के अपराधों में अभियुक्त हो)] ***(आदेश दिनांक 06-05-2016)**		
8	**विचाराधीन बंदी** जो ऐसे अपराधों में जिसमें अधिकतम दण्डावधि 02 वर्ष है निरूद्ध हो *(आदेश दिनांक06-05-2016)*	कृपया संलग्नक-ए, जिसमें ऐसे आई0पी0सी0 अपराधों का विवरण है, जिनमें अधिकतम दण्डावधि 02 वर्ष है, का संदर्भ लें।	• संबंधित न्यायालय को संस्तुत करें कि यदि विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति दोषी पाया जाय तो Probation of offender's Act-1958 की धारा-3 या धारा-4 के अंतर्गत लाभ दिया जाय। • 11 अपराधों को छोड़कर (एसएस-153एए, 170, 229ए, 241, 254, 267, 274,295, 353, 354, 354ए आई0पी0सी) जो सूची में दिये गये हैं, अन्य सभी अपराध जमानत योग्य हैं। इसलिए कमेटी सीआर0पी0सी0 की धारा-436 के अंतर्गत पात्र बंदियों की अनिवार्यत: रिहाई की संस्तुति की जाय। • उपर्युक्त 11 अपराधों के अंतर्गत पात्र पाये गये बंदियों को समिति, मोतीराम व अन्य बनाम म0प्र0 राज्य (1978 ए0आई0आर0, 1594 1979 एससीआर (1)-335) में दिये गये निर्देशानुसार निजी बाण्ड पर रिहा किये जाने की संस्तुति कर सकती है।
9	सीआर0पी0सी0 के अध्याय-8 की धारा-107, 108, 109 एवं 151 के अंतर्गत निरूद्ध व्यक्ति ***(आदेश दिनांक06-05-2016)**	न्यायालय के वारण्ट में धारायें उल्लिखित हैं। कमेटी बैठक से पूर्व जेल अधिकारियों से सूचना अवश्य मांगे।	• सीआर0पी0सी0 की धारा-123 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने हेतु संस्तुत करें। धारा-123, जिला मजिस्ट्रेट को, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा-117 के अंतर्गत पारित आदेश अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief judicial Magistrate) द्वारा किसी अन्य प्रकरण में पारित आदेश अथवा किसी अन्य मामले में ऐसे लोगों को सशर्त अथवा बिना शर्त रिहाई अथवा मुक्ति हेतु अथवा जमानत की राशि कम करने हेतु आदेश देने अथवा श्योरिटीज की संख्या कम करने अथवा श्योरिटी हेतु समय दिये जाने का अधिकार देती है। • स्पष्टतया यह प्रावधान निवारक हैं न कि दण्डात्मक।
10	ऐसे विचाराधीन बंदी जो बीमार या अक्षम हैं तथा उन्हें	ऐसे मामलों की पहचान ऐसे जेल अधिकारियों जो ऐसे विचाराधीन बंदी	मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त करके सीआर0पी0सी0 की धारा-437 के अंतर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	विशेष प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है। ***(आदेश दिनांक06-05-2016)**	पर अवश्य नजर रखें जिन्हें दीर्घकालिक या असाध्य बीमारी बतायी गयी है, या प्रवेश के समय या बाद में कोई असमर्थता पहचानी गयी है, की सहायता से ही चिन्हित किये जा सकते हैं।	जिसमें विचाराधीन बंदी के रूग्ण या अक्षम होने के आधार पर जमानत देने में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, संबंधित न्यायालय को जमानत हेतु संस्तुत किया जाय।
11	विचाराधीन महिला बंदी ***(आदेश दिनांक06-05-2016)**	• कुछ जनपदों में अलग से सुधार गृह या जेल अलग है अथवा जेल प्रांगण में ही अलग वार्ड हैं। महिला अपराधियों के मामले जनपद विशेष की समिति द्वारा ही विचारणीय होंगे। • जेल अधिकारी आवश्यक रूप से अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के सदस्यों को ऐसे मामलों से अवगत करायेंगे जो कमेटी द्वारा विचार हेतु उपयुक्त हैं।	• संबंधित न्यायालय को सीआर0पी0सी की धारा-437 के मामले जिनमें महिला विचाराधीन बंदियों हेतु ध्यान दिये जाने का प्रावधान है, अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर संस्तुति की जाय। • ऐसे मामलों पर विचार करते समय कमेटी आर0डी0 उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य (AIR-2006, SC 1946) में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रख सकती है।
12	19 से 21 वर्ष की आयु वाले ऐसे पुरूष अपराधी जिन्होने प्रथम बार अपराध किया हो तथा जो ऐसे अपराधों के लिए जिनमें 07 वर्ष से कम कारावास के दण्ड का प्रावधान है तथा जो अधिकतम संभव दण्डावधि का कम से कम एक चौथाई पूर्ण कर चुके हैं। ***(आदेश दिनांक06-05-2016)**	• यह एक विशेष श्रेणी है जिसका उल्लेख सीआर0पी0सी0 अथवा किसी अन्य विधि में नहीं है, परन्तु जिसमें युवा अपराधियों की अनावश्यक निरूद्धि को अंकुश में रखने में सहायता मिलती है। • कमेटी ऐसे अपराधियों की अलग से सूची जेल अधिकारियों से बैठक से पूर्व अवश्य मांगे।	यदि कोई व्यक्ति विचारण के दौरान दोषी पाया जाता है तो उसे Probation of offender's Act-1958 की धारा-3 या धारा-4 का लाभ दिये जाने की संस्तुति संबंधित न्यायालय से की जाय।
13	असंतुलित मस्तिष्क वाले विचाराधीन बंदी ***(आदेश दिनांक06-05-2016)**	• कमेटी जेल अधिकारियों से बैठक से पूर्व निम्न सूचना अवश्य मांगे- (क)दिमागी रूप से रूग्ण ऐसे बंदी जिनका विचारण रोक दिया गया है तथा जिनके परिवार उन्हें अपने संरक्षण में लेने को इच्छुक हैं। (ख)दिमागी रूप से रूग्ण ऐसे बंदी जिनका विचारण 06 माह से अधिक समय से, विचारण के समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में अक्षम होने के कारण स्थगित है।	• सीआर0पी0सी0 के अध्याय-xxv(25) के अंतर्गत असंतुलित दिमाग पाया गया हो। • संबंधित न्यायालय को ऐसे दिमागी रूप से रूग्ण बंदी जिनका विचारण स्थगित कर दिया गया हो तथा जिसके परिवार के सदस्य सीआर0पी0सी की धारा-330 के अंतर्गत अपने संरक्षण में रखने को इच्छुक हों, को जमानत पर रिहा करने हेतु संबंधित न्यायालय को संस्तुति की जाय। • दिमागी रूप से रूग्ण ऐसे बंदी जिनका विचारण 06 माह से अधिक समय से इस कारण स्थगित है कि वे विचारण में उपस्थित रहने में अक्षम हैं, सीआर0पी0सी की धारा-328, 329 एवं 330 के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु संबंधित न्यायालय को संस्तुति की जाय। • कतिपय मामलों में परिवार का अता-पता नहीं होता, ऐसे मामलों में कमेटी, जेल अधिकारियों/कल्याण अधिकारियों से

http://shasanadesh.up.nic.in

			मानसिक रूग्ण व्यक्ति के परिवार को ढूढ़ने में अवश्य मदद प्राप्त करें।
14	सीआर0पी0सी0 की धारा-437(6) के अंतर्गत, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होना है, संबंधित व्यक्ति जो किसी गैर जमानती अपराध का अरोपी है परन्तु विचारण, गवाही हेतु निर्धारित प्रथम तिथि से 60 दिनों के भीतर नहीं हो सका है, रिहाई हेतु उपयुक्त विचाराधीन बंदी ***(आदेश दिनांक06-05-2016)**	• गवाही की पहली तिथि जेल को सूचित नहीं की जाती। अतएव गवाही की पहली तिथि कब निश्चित थी, यह सूचना मजिस्ट्रेट न्यायालय से प्राप्त की जाय। • तत्पश्चात जिस माह में बैठक होनी है, उसकी कोई एक तिथि निश्चित करके 60 दिनों की गणना की जाय।	सीआर0पी0सी0 की धारा-437(6) के अधीन अरोपी को जमानत पर रिहा करने को संबंधित न्यायालय से संस्तुति की जाय।

6- कृपया जनपद स्तरीय अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की नियमित बैठक कर उपरोक्तानुसार विचाराधीन बंदियों के मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7- यह आदेश न्याय विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या:24/2019/1410जेएल(1)/22-3-18-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 महानिबन्धक, मा0 उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली।
2- मा0 महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- समस्त मा0 जिला जज, उ0प्र0।
4- मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ।
5- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

***** रिट याचिका (सिविल) संख्या-406/2013, (IN HUMAN CONDITIONS IN 1382 PRISIONS) में मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-24/2019/1410जेएल/22-3-18-24जी/2015 दिनांक 13-02-2019

का संलग्नक

ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने अपनी दण्डावधि पूर्ण कर ली है या क्षमादान के कारण रिहाई के पात्र हैं, के संबंध में सूचना का प्रपत्र

1	बंदी का नाम एवं पिता का नाम	
2	बंदी संख्या	
3	बंदी का पूर्ण पता	
3	निरूद्धि की कारागार का नाम	
4	बंदी की आयु एवं जन्मतिथि	
5	दण्ड देने वाले न्यायालय का नाम	
6	अपराध संख्या, सत्र परीक्षण संख्या एवं धारा	
7	सजावधि, दण्ड का दिनांक एवं कारागार में प्रवेश की तिथि	
8	दण्ड का संक्षेप में विवरण	
9	बंदी द्वारा भोगी गयी सजा (अपरिहार)	
10	बंदी का कारागार में आचरण	
11	जेल में दिये गये दण्ड	
12	बंदी के स्वास्थ्य की दशा	
13	अभ्युक्ति	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।